

**बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय**

पत्रांक 104/31/0

पटना, दिनांक 28/1/19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक निबंधक, सहयोग समितियां (हस्तकरघा), राजेन्द्रनगर, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को विषय शीर्ष 0002.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विषय शीर्ष 0002.28.02 संविदा सेवाएँ मद में कुल राशि रू० 3,61,000/- (तीन लाख एकसठ हजार) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 3,61,000/- (तीन लाख एकसठ हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 508, दिनांक 22.01.19 द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त बजट उपबंध से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :-

क्र०	कार्यालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मदवार आवंटित राशि (रू०)		
		चिकित्सा प्रतिपूर्ति 0002.06.01	संविदा सेवाएँ 0002.28.02	कुल योग
1	2	3	4	5
1	सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	146800	0	146800
2	वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।	0	157000	157000
3	सहायक निबंधक, सहयोग समितियां (हस्तकरघा), राजेन्द्रनगर, पटना।	57200	0	57200
4	योग	204000	157000	361000

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-

(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 104/3119

प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 28-1-19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 104/3119

प्रतिलिपि :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 28-1-19

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।